

क्रमांक/सा.सहा./2018/291

भोपाल, दिनांक.15/02/2018

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर
2. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत, म.प्र.।

विषय:- पेंशन हितग्राहियों की सूची को ग्राम पंचायत भवन व वार्ड कार्यालयों में चस्पा करने एवं हितग्राहियों के भौतिक सत्यापन के संबंध में।

विषयांतर्गत लेख है कि राज्य स्तर पर खोले गये नोडल बैंक खाते से पेंशन राशि का वितरण इलेक्ट्रानिक पेमेंट आर्डर के माध्यम से हितग्राहियों को करने की कार्यवाही जून 2017 से प्रारंभ की गई। सितम्बर 2017 माह से सिंगल क्लिक से पेंशन वितरण योजना के माध्यम से पेंशन भुगतान की कार्यवाही राज्य स्तर से की जा रही है। अतः समस्त पात्र पेंशन हितग्राहियों को प्रतिमाह पेंशन प्राप्त हो, इस हेतु समस्त स्थानीय निकायों को निम्नानुसार कार्यवाही प्रतिमाह की 22 तारीख तक सुनिश्चित करना अनिवार्य है :-

- समस्त पेंशन हितग्राही पात्र हों
- अपात्र हितग्राही को पोर्टल से हटाने की कार्यवाही
- हितग्राही का बैंक बचत खाता नम्बर एवं आई.एफ.एस. कोड सही हों
- असफल भुगतान हुये हितग्राही की प्रोफाइल का परीक्षण कर जानकारी को त्रुटिरहित करना

2. उपरोक्तानुसार प्रतिमाह की 22 तारीख तक उक्त आशय का प्रमाण-पत्र प्रेषित करना सुनिश्चित करें कि वर्तमान में पेंशन पोर्टल पर स्वीकृत पेंशन हितग्राही पात्र है व जानकारी अपडेट व त्रुटिरहित है। यदि किसी स्थानीय निकाय द्वारा 22 तारीख तक पेंशन भुगतान हेतु प्रमाण-पत्र प्रेषित नहीं किया जायेगा तो उक्त स्थिति में पेंशन हितग्राहियों को पेंशन भुगतान नहीं हो सकेगा, जिसका उत्तरदायित्व संबंधित स्थानीय निकायों का होगा।

3. किसी भी जानकारी के अपूर्ण व त्रुटिपूर्ण होने पर हितग्राही को पेंशन का लाभ प्राप्त समय पर नहीं हो सकेगा, अतः उक्त जानकारी को त्रुटिरहित करने की कार्यवाही सुनिश्चित करें। यदि किसी हितग्राही को बैंक बचत खाता नम्बर व आई.एफ.एस. कोड में त्रुटि होने के कारण पेंशन का लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है एवं अपात्र या डुप्लिकेट हितग्राहियों को पेंशन प्राप्त हो जाती है, तो इसकी जबाबदेही संबंधित स्थानीय निकाय के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत व मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/नगर परिषद एवं प्रभारी अधिकारी, नगर निगम की होगी।

4. पेंशन पोर्टल पर स्वीकृत समस्त पेंशन हितग्राहियों का भौतिक सत्यापन किया जाना आवश्यक है, अतः प्रत्येक तीन माह में एक बार पेंशन पोर्टल पर स्वीकृत समस्त पेंशन हितग्राहियों की सूची को प्रिंट कर ग्राम पंचायत कार्यालय, नगर निगम में वार्ड कार्यालयों तथा नगर पालिका / नगर परिषद कार्यालयों में चस्पा करना सुनिश्चित करें।

5. विभाग द्वारा एन.आई.सी. के सहयोग से पेंशन योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु एम. पेंशन मित्र के नाम से मोबाइल एप विकसित की गई है। एम. पेंशन मित्र मोबाइल एप पर पेंशन योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थित हितग्राहियों की सूची, संभावित पात्र व्यक्तियों की सूची उपलब्ध कराई गई है साथ ही ग्राम पंचायत व वार्ड के यूजर पर भौतिक सत्यापन करने की सुविधा भी उपलब्ध है, जिसमें ग्राम पंचायत सचिव व वार्ड प्रभारी द्वारा हितग्राही से संपर्क कर मोबाइल एप की सहायता से हितग्राही का फोटो खींचकर हितग्राही का भौतिक सत्यापन किया जाये साथ ही हितग्राही का आधार नम्बर, मोबाइल नम्बर को प्राप्त करने की कार्यवाही भी की जाये।

उपरोक्तानुसार पेंशन पोर्टल पर हितग्राहियों की जानकारी को त्रुटिरहित करने, प्रतिमाह की 22 तारीख तक पेंशन भुगतान हेतु प्रमाण-पत्र प्रेषित करने, तीन माह में पेंशन हितग्राहियों की सूची को ग्राम पंचायत भवन, वार्ड कार्यालयों व नगरीय निकायों में चस्पा करने तथा हितग्राहियों का भौतिक सत्यापन करने हेतु समस्त जनपद पंचायत व नगरीय निकायों को निर्देशित करने का कष्ट करें।

(अशोक शाह)

आयुक्त,

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन
कल्याण, भोपाल, म.प्र.

पृ. क्रमांक/सा.सहा./2018/292

भोपाल, दिनांक 15/02/2018

प्रतिलिपी :-

1. प्रमुख सचिव, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. समस्त संभागीय आयुक्त मध्यप्रदेश।
3. श्री सुनील जैन, वरिष्ठ तकनीकी संचालक, एन.आई.सी. म.प्र. की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. समस्त संयुक्त/उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग।
5. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, समस्त पेंशन हितग्राहियों के बैंक बचत खाता नम्बर व आई.एफ.एस. कोड त्रुटिरहित करना सुनिश्चित करें।
6. समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/नगर परिषद म.प्र. समस्त पेंशन हितग्राहियों के बैंक बचत खाता नम्बर व आई.एफ.एस. कोड त्रुटिरहित करना सुनिश्चित करें।

आयुक्त,

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन
कल्याण, भोपाल, म.प्र.